ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (रजि.)
AUTOMOTIVE PARTS MERCHANTS ASSOCIATION(Regd.)
(Regd No. S/2999 of 1966-67)
FLAT NO. 10, IST FLOOR, VARDAN HOUSE, CHABI GANJ, KASHMERE GATE, DELHI-110006
Phone : 23967505, 23948000 E-mail : apma1965@yahoo.in Website : www.apma.biz

R.K. GUPTA	VISHNU BHARGAVA	VINAY NARANG
PRESIDENT	Hony. General Secretary	Hony. Treasurer
Mobile : 9891008503	Mobile : 9811139614	Mobile : 9810193816

सरकूलर नं0 अपमा/2016–2018/154 दिनांक : 3–8–2017

''चालान में अपंजीकृत खरीदार के विवरण

1-49,999 - कोई विस्तार की आवश्यकता नहीं ।

50,000-2,00,000 - नाम, पता और विवरण का स्थान।

2,00,001-2,49,999 - नाम, पता, डिलीवरी की जगह और खरीदार के पैन (ऐसे बिल के खिलाफ नगद में 2 लाख रूपये या उससे ज्यादा नहीं मिलता।

2,50,000 - नाम, पता, डिलीवरी का स्थान, खरीदार का पैन (ऐसे बिल के खिलाफ नकद में 2 लाख रूपये या उससे अधिक नहीं मिलता) और जीएसटी में बिल वार उल्लेख अगर अंतराज्यीय आपूर्ति।

सरकूलर नं0 अपमा/2016–2018/155

GST में Invoicing के सम्बन्ध में खास बातें :

1. केवल दो तरह के बिल जारी होंगे 1. टैक्स इनवॉइस या 2. बिल ऑफ सप्लाई
2. बिल ऑफ सप्लाई ''समाधान'' वाले व्यापारी जारी करेंगे या करमुक्त मॉल की बिक्री करने वाले।
3. अन्य सभी व्यापारी अर्थात Taxable माल की बिक्री करने वाले सभी व्यापारी टैक्स इनवॉइस जारी करेंगे।
4. पूर्व में वैट की तरह सेल इनवॉइस की concept खत्म कर दी गयी है।
5. टैक्स इनवॉइस में चार्ज किये जाने वाले टैक्स CGST, SGST या IGST की दर और राशि प्रथक सहित खोल कर अवश्य दिखलाया जाना होगा।
6. बिल ऑफ सप्लाई में चार्ज किये जाने वाला टैक्स खोलकर कर नहीं दिखा सकते। बिल inclusive method पर टैक्स की राशि सहित बनेगा।
7. बिल का सीरियल क्रमांक 16 अंकों के साइज तक का रख सकते हैं। इसमें कुछ विशेष ंक चिन्हो को शामिल कर सकते है जैसे हायफन, डैश अथवा स्लैश। सीरियल क्रमांक पूरे वर्ष क्रमागत चलेगा। बिल Series एक या अधिक रख सकते हैं।

कृ0प0उ0.....2

8. यदि क्रेता पंजीकृत है तो क्रेता का नाम, पता और GST नम्बर लिखना होगा।
9. क्रेता का पता और माल जहां पहुॅचा के देना है (place of delivery) दोनों प्रथक प्रथक हो सकते हैं। टैक्स इनवॉइस में दोनों स्थानों के कालम रखने होंगे। दोनो स्थानों को लिखना होगा। पते के साथ प्रदेश का नाम और उसका कोड भी लिखना होगा।
10. यदि क्रेता अपंजीकृत है परन्तु जारी किये जाने बिल की राशि 50000/– रूपये से अधिक है तो क्रेता का नाम, पता डिलीवरी के स्थान सहित प्रदेश का नाम व प्रदेश का कोड लिखना जरूरी होगा। बिल की राशि 50000/– रूपये से कम है तो यह विवरण लिखना क्रेता की इच्छा पर स्वेच्छिक होगा।
11. इनवॉइस में एक कालम और बढ़ाना होगा "Whether Tax is payable on reverse charge basis".
12. इनवॉइस पर विक्रेता या उसके प्रतिनिधि दोनों में से किसी के भी द्वारा हस्ताक्षर किये जा सकते ह। हस्ताक्षर के लिए डिजिटल सिग्नेचर भी इस्तेमाल किये जा सकते हैं।
13. रूपये 1.5 करोड़ वार्षिक से अधिक टर्नओवर होने पर माल के विवरण के साथ HSN कोड के प्रथम 2 अंक भी लिखने होंगे। 5 करोड़ वार्षिक से अधिक टर्नओवर होने पर HSN के प्रथम 4 अंक लिखने हांगें।
14. एक्सपोर्ट की दिशा में बिल पर निम्न प्रष्ठांकन (endorsement) आवश्यक होगा।
    SUPPLY MEANT FOR EXPORT ON PAYMENT OF INTEGRATED TAX" or "SUPPLY MEANT FOR EXPORT UNDER BOND OR LETTER OF UNDERTAKING WITHOUT PAYMENT OF INTEGRATED TAX".
15. यदि क्रेता अपंजीकृत है और 200/– रूपये तक की छोटी छोटी राशि में माल खरीदता है तो दिन भर के लिए इकठ्ठा इनवॉइस जारी किया जा सकता है।
16. रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करते ही बिना GST रजिस्ट्रेशन न. मिले बिल जारी किये जा सकते हैं। परन्तु रजिस्ट्रेशन न. मिलते ही 30 दिन के अन्दर पंजीयन प्रभावी की तिथि से लेकर नम्बर अलाट होने की तिथि के मध्य के सभी बिल विधिवत रूप से revised जारी करने होंगे।
17. माल की सप्लाई के विरूद्व यदि एडवांस प्राप्त कर लिया है तो एडवांस वाउचर जारी करना होगा।
18. माल के सम्बन्ध में बिल तीन प्रतियों में बनेगा। सेवा के सम्बन्ध में दो प्रतियों में। मध्य की प्रति ट्रांसपोर्टर के लिए होगी।

(सुभाष चन्दर बजाज)
कनवीनर, कर उपसमिति